

अध्याय 2

राज्य सरकार



बिहार सरकार

पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि सरकार तीन स्तरों पर काम करती है—स्थानीय, राज्य और केन्द्र। स्थानीय सरकार के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हम जानेंगे, राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है, विधायक कौन होता है, विधानसभा, सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है एवं लोग सरकार के सामने अपनी बातें कैसे रखते हैं?

सपने आस पास सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य
की एक सूची बनाएँ -

?

आज पंचायत गठन पर विधायक जी ने जाने वाले हैं। बुनवत प्रवार के दौरान उन्होंने इस गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का वादा किया था जो आज तक नहीं खुला। गाँव के मुखिया ने जगों का पंचायत गठन पर बुलया है। जब मन्नेष के पिता पंचायत गठन के लिए निकले तो मन्नेष भी उनके साथ हो लिया। उसने रास्ते में कई लोगों को विधायक के बारे में बातें करते सुना। यहाँ के अधिकतर लोग रागय से अपना इलाज नहीं करवा पाते, क्योंकि गाँव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और शहर का अस्पताल दूर है। जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें शहर के अस्पताल ले

जाना पड़ता है। दूरी के कारण कभी-कभी तो मरीज की मौत अस्पताल से जाने के रास्ते में ही हो जाती है।

कुछ ही समय इन्तज़ार के बाद विधायक उन सबके बीच मंजूर हुए। गाँव के लोग नासज्ज नज़र आ रहे थे कि अब तक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुला। विधायक ने फिर कहा कि वह जल्दी ही स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति दिलवा देंगे। मनोष को समझ में नहीं आया। उसने अपने पिताजी से गुंजा, “ये स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए कैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। पिताजी ने जवाब दिया कि, “स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पैसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा के होगा।” पर मनोष अभी भी रुझा नहीं गया। आइये, हमने इन लोगों को इस पाठ में समझे।

विधायक का चुनाव

भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। इस सभा के सदस्यों को विधायक (एम्पलॉएड) कहते हैं। वे कैसे चुने जाते हैं?

vkby; ge tku&



प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बँटा हुआ होता है। उदाहरण के लिए रीता देवी 2005 में पहली बार निर्दलीय विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। उनके साथ इस विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी एवं अन्य लोग भी अपनी-अपनी करगता आगता रहे थे। ये उम्मीदवार अलग-अलग पार्टियों की ओर से खड़े हुए थे। इनमें कोई कांग्रेस पार्टी से, कोई भा.ज.पा. से, कोई रा.ज.द. से, कोई ज.द.यू. से तो कोई लो.ज.पा. से था। दो उम्मीदवार निर्दलीय भी थे

जो किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे।

सभी उम्मीदवारों ने पहले अपना नामांकन भरा। उसके बाद अपने प्रचार के लिए अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया। कोई भी गाँव जल्द से नहीं था जहाँ लोगों ने अपनी पार्टी के प्रचार नहीं किया हो। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुँचाया एवं अपने उम्मीदवारों के लिए वोट माँगे। प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादें किये। सम्भवतः ने मनीष के गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाना का वादा किया।



मतदान यूनिट

फिर आया चुनाव (मतदान) का दिन। निर्मलपुर विधानसभा के अधिकतर लोगों ने सुबह 7 बजे से ही अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नशीन के द्वारा अपने-अपने मतों का प्रयोग किया। शाम पाँच बजे राबकी किरगल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नशीन में बंद हो गई। उम्मीदवारों के

प्रशंसक अपनी पसंद के उम्मीदवार की जीत की कामना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आया वोटों की गिनती का दिन। कुछ लोग टी.वी. से सटे हुये थे तो कुछ लोग म्त्गणना केन्द्र (जहाँ पर गणना की गिनती होती है) की ओर जा रहे थे। दा बज गिनती समाप्त हो गई।



ई०वी०एम०

1. शिक्षक की सहायता से अपने जिले के मानचित्र में अपने विधानसभा क्षेत्र को दर्शाएँ।
2. 'उम्मीदवार' व 'पार्टी' का अर्थ समझाएँ।

?

3. चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है? चर्चा करें।
4. अलग-अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं? इसका क्या फायदा होता है?
5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है। शिक्षक के साथ चर्चा करें।
6. आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक के नाम बताएँ
7. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया को विद्यालय में तोलियँ लगाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करें

?

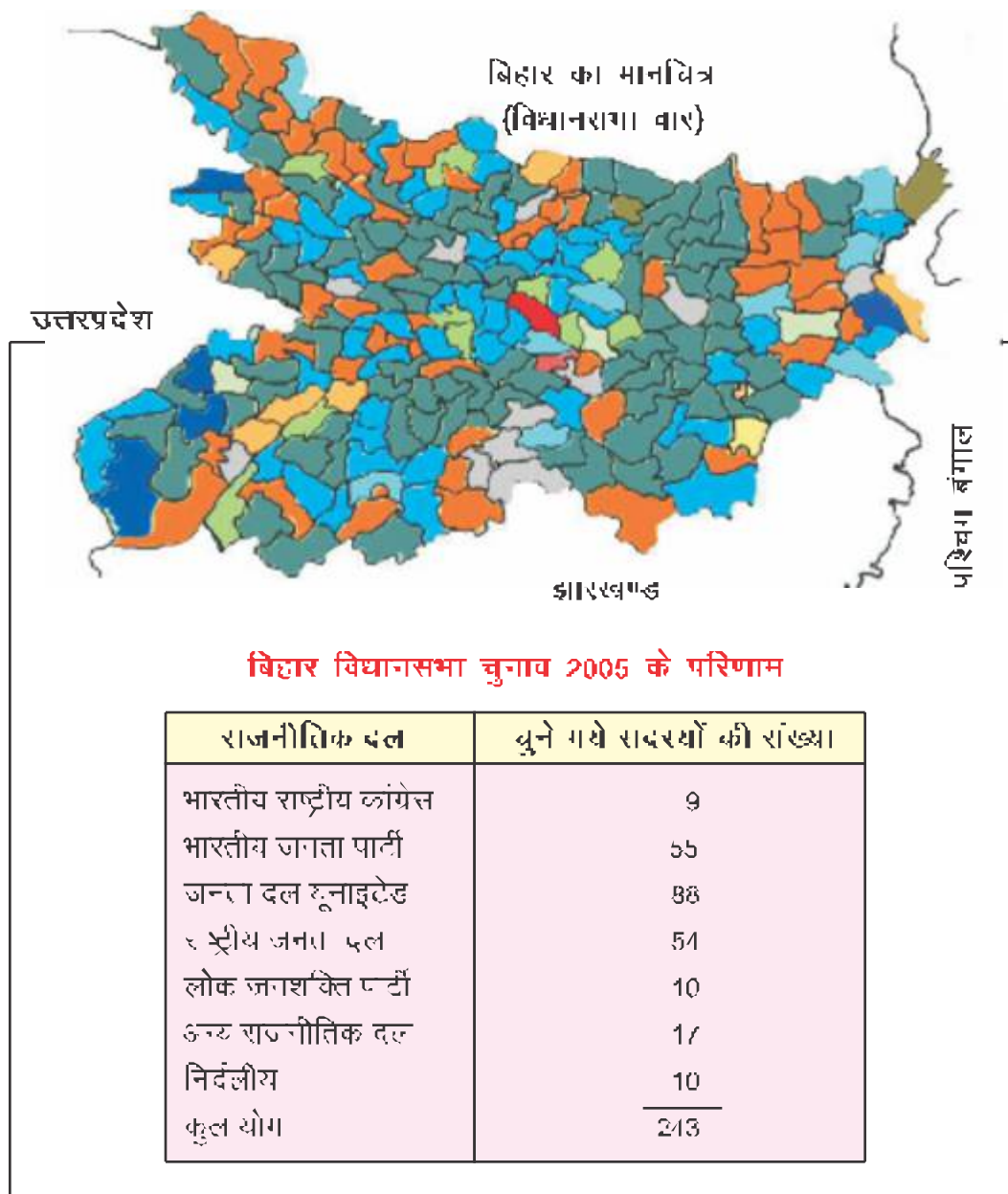
रामअवतार को सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिले। निर्वाचन पदाधिकारी ने रामअवतार के विजयी होने की घोषणा की। इस प्रकार वह चुनाव जीत कर अपने क्षेत्र के विधायक बन गए। ये पाँच वर्षों के लिए निर्वाचित हुए।

सरकार का बनना

कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष एवं अन्य सभी दलों को विपक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आगे दी गई तालिका को देखें। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने 2008 का विधानसभा चुनाव जीत और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से एक अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। अर्थात् 243 विधायकों में से कम से कम 122 की आवश्यकता होगी।

बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है? वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिस दल को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हों। लोगों ने अलग-अलग क्षेत्रों से अपनी-अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना, जो विधायक बनकर विधानसभा में आए। जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक हैं, अर्थात् बाकी अन्य दलों की तुलना में उसके पास आधे से अधिक विधायक हैं, इसका अर्थ हुआ कि बाकी अन्य दलों की तुलना में

उसके विधायक ज्यादा हैं। यानी उस दल को लोग ज्यादा चाहते हैं। इसलिए वह सरकार बना सकता है। कई बार किसी एक दल के पास अधिक विधायक तो होते हैं लेकिन आधे से अधिक नहीं। यानी बाकी सब की तुलना में उसके पास बहुमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गठबन्धन वाली सरकार बनेगी।



दी गई तालिका में चुनाव परिणाम का ध्यान से देखें एवं समझाएँ कि क्या इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ? भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इनके 143 विधायक हाने के कारण इन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी पक्ष के सदस्य हो गये। अन्य सभी विधायक विरोधी पक्ष के सदस्य बन गए। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विरोधी दल बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के बाद सर्वाधिक विधायक उररी ल थे। विराधी पक्ष में अन्य पार्टियाँ भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के पश्चात् बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन अपने नेता का चयन करता है। इस चुनाव में भा.ज.पा. एवं ज.द.यू. गठबंधन के विधायकों ने श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुन और वे मुख्यमंत्री बनाए गए।



बिहार विधान सभा भवन

राज्यपाल

राज्य का दूसरा प्रमुख राज्यपाल के नाम से ही जाना जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वह सर्व दल या गठबंधन के नेता को चुनते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो। और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमण्डल की सलाह से कार्य करना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कार्य कर सके।

1. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में68.....सदस्य हैं। किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी?



2. किरा दल या गठबंधन की सारकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियम से क्यों चलना चाहिए? चर्चा करें।
3. क्या कुछ ऐसे सदाहरण दे सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए? चर्चा करें।
4. अपने शिक्षक की सहायता से बिहार विधानसभा चुनाव के वर्ष 2010 में विभिन्न राजनीतिक दल के परिणाम की जानकारी प्राप्त कर तालिका के रूप में दर्शाइए:

?

राजनीतिक दल	चुने गये सदस्यों की संख्या
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	
भारतीय जनता पार्टी	
जनता दल यूनाइटेड	
राष्ट्रीय जनता दल	
लोक जनशक्ति पार्टी	
अन्य राजनीतिक दल	
निर्दलीय	
कुल योग	243

fo/kku i fj"kn

भारत के प्रत्येक राज्य में विधान सभा है, परन्तु कुछ राज्यों यथा बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं जम्मू व कश्मीर के विधान मंडल में द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद् है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सभा है, जो कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक दो वर्षों के बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर पुनः निर्वाचन व मनोनयन होता है। विधान परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक और किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद् के गठन में कुल निर्धारित सदस्यों के एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला पार्षदों एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल द्वारा, एक तिहाई सदस्य राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा एवं 1/12 सदस्य माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। विधान परिषद् की कार्यवाही को संचालित करने के लिए सदस्य अपने में से एक सभापति एवं एक उप सभापति का चुनाव करते हैं।

झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार विधान परिषद् में कुल 75 सीट है। इनमें स्थानीय निकाय द्वारा 24, विधान सभा सदस्यों द्वारा 27, स्नातकों द्वारा 6 एवं शिक्षकों द्वारा 6 निर्वाचित सदस्य हैं। शेष 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत हैं।

विधानसभा में एक बहस

सभी मंत्रियों के अलग-अलग कार्यालय होते हैं जहाँ वे सिर्फ अपने विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन एवं शिक्षा मंत्री (मानव संसाधन विकास मंत्री) सिर्फ शिक्षा संबंधी कार्यों को अपने विभाग में देखते हैं। उन पर पूरे राज्य के उस विभाग से संबंधित जिम्मेवारी होती है। सभी मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखनी होती है। इसके पश्चात् सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं जहाँ सभी दल के सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं।



विधानसभा की बहस में विधायक अपनी बात रख सकते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं एवं सुझाव दे सकते हैं। विभागीय मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करने हैं कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार जा भी निर्णय लेती है उसे विधेयक नाम के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। हम लोग विधानसभा में किए गए बहस एवं प्रस्ताव को अखबारों, दूरदर्शन समाचार चैनलों अथवा रेडियो पर पढ़ते व सुनते हैं।

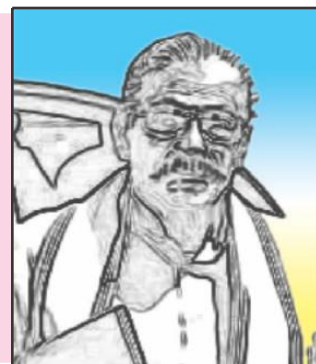
आदमी गन्ध विस्फोटक सेदपुर के बच्चों पर विधानसभा में बहस कैसे होती है, देखने के लिए अपने राज्य की राजधानी पटना जाये। विधेयक भवन अत्यन्त गंदा एवं आकर्षक है। मुख्य द्वार पर बड़े-बड़े अक्षरों में बिहार विधानसभा लिखा हुआ था। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा व्यवस्था देखते बन रही थी। खाना आदमी हा या कोई विधेयक सुरक्षा जाँच के बाद ही उन्हें अन्दर जाने दिया जाता था। सेदपुर के बच्चों को सुरक्षा जाँच के बाद ऊपर दर्शक दीर्घा में ले जाया गया। वहाँ से वे नीचे के विधानसभा हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्क की ऊँच कतारें लगी थीं। प्रत्येक डेस्क पर नाइल लगा हुआ था, जिस पर विधानसभा

सादर्य बैठ हुए थे। उनके सामने की कुर्सी पर विधानसभा अध्यक्ष बैठ हुए थे। बहस शुरू होती है -



विधायक 1: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सरकार की यह योजना है कि सभी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, इसके बावजूद अधिकतर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं खुला, जिसके चलते कई लोगों में ये इलाज नहीं करवा पाते एवं उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि आखिर कब तक हमारे पंचायत को लाभ इस योजना के अभाव में गहरा रहेगा?

विधायक 2: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एक तो हमारी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का धोरण बन चुका है, अगर वही स्वास्थ्य केंद्र खुला भी तो डाक्टरों की कमी है, इन स्वास्थ्य केंद्रों को इतना बुरा हाल क्यों? सरकार इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही?



विधायक 3: महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर राज्यों की वश आज भी बदतर है। बहुत सारे गाँवों का सम्पर्क आज भी मुख्य सड़क से नहीं हो पाया है। आपकी सरकार यह दावा करती है कि हमने सड़कों बनवायी हैं। जबके नरे निपंचन क्षेत्र के अधिकतर गाँवों की स्थिति यह है कि व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो उन्हें शहर के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचते-पहुँचते 8-10 घंटे लग जाते हैं। अगर सड़क सही होती तो उनका गाँवों का सम्पर्क मुख्य सड़क से होता तब वह दूर दूर से शहर के स्वास्थ्य केंद्र में आसानी से पहुँच सकते हैं। अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे कब तक उन राज्यों को बनवा पाएँगे?



मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मांगीय सदस्य जनसूच को बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं। यह सत्य है कि सभी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुल पाया है पर आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति लगभग सभी गांवों में हो रही है। बड़े पैमाने पर नियत मानदेय पर चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में सभी दवाओं का वितरण एवं पीके दिये जा रहे हैं। 24 घंटा डॉक्टर अस्पतालों में इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

“अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विरही पक्ष को रद्दी बिना कानून सरकार पर दवाब डाल रहे हैं। आज पूरे राज्य का शराब डी कोई गाँव, शहर या गली-तुड़ल्ला होगा, जिसकी सड़क का पक्कीकरण अभी तक नहीं हुआ है। आपके निर्वाचन क्षेत्र के सड़कों का भी टेंडर हो चुका है। इसलिए चिन्ता न करें, शीघ्र ही वे सड़कें भी बन जाएंगी।”

इस प्रकार उनमें विधानसभा में चल रही बहस के विषय में जाना, यहाँ हमने देखा कि विधायक ने अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में बहस के दौरान उठाया। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र में दौरा करें, लोगों से मिलें एवं समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करें। इस बहस में मंत्री महोदय ने उन्हें आश्वासन देने की कोशिश की। मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की ज़िम्मेदारी होती है एवं जिस विभाग का वह मंत्री होता है उसकी जवाबदेही भी मंत्री पूरी तरह से सरकार के कान के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभाग एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाता है। दूसरे तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, एवं कानून बनाते हैं। उसे **legislature** कहते हैं।

1. अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या उठाते और क्यों?
2. उनकी नजर में एक विधायक और उस विधायक में, जो मंत्री भी हैं क्या अंतर है?
3. विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों है?

?

सरकार की कार्यप्रणाली

विधानसभा की बैठक के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ विधायक द्वारा सदन में उठाये गए मामलों पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के दफ्ते पर जाने की योजना बनाने है जिनके क्षेत्र की सड़कों की स्थिति आज भी जर्जर है जबकि टेडर तीन महीने पहले हो गया है। अगले सप्ताह वे उन गांवों का दौरा करते हैं एवं विधायक द्वारा उठाये गए मामले का सही पता है। और से लौटने के पश्चात वे सबसे पहले उस डेफेंसर (सर्वेक्टर) के डेका रद्द करते हैं एवं ग्रामीण विकास मंत्री के दफ्ते से टेडर निकलवाना का आदेश देते हैं एवं तीन-दो के अन्दर सड़कों की स्थिति ठीक करने की बात भी करते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें जिससे कि गांव के लोगों का इलाज हो पाए।



सचिवालय, पटना

इस प्रकार हमने जाना कि, वे लोग जो सरकार में शामिल हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि। इन सभी को समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे अपने कार्यों को विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि द्वारा करवाते हैं। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है एवं प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसका बजट सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन लिया जाता है।

सरकार के कार्य के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से लड़वाई करने की माँग सिर्फ विधनसभा में ही नहीं की जाती, बल्कि हंगलोन प्रतिदिन अखबारों, रेडियो, दूरदर्शन चैनलों एवं अन्य माध्यमों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतांत्रिक में लोग अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपनी माँग रखते हैं

अभ्यास

1. अपने शिक्षक की सहायता से गत लगाइये कि निम्नांकित सरकारी विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गये रिक्त स्थानों में भरिए

विभाग का नाम	उनके द्वारा किए गए कार्यों के उदाहरण
शिक्षा विभाग	
स्वास्थ्य विभाग	
पथ निर्माण विभाग	
कृषि विभाग	

2. निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनके चुनाव किस प्रकार होता है?
3. विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अन्तर है?
4. उनके विचार में क्या विधनसभा में बहर कुछ अर्थों में उपयोगी रही? क्यों? क्यों कीजिये